प्रेस प्रकाशनी

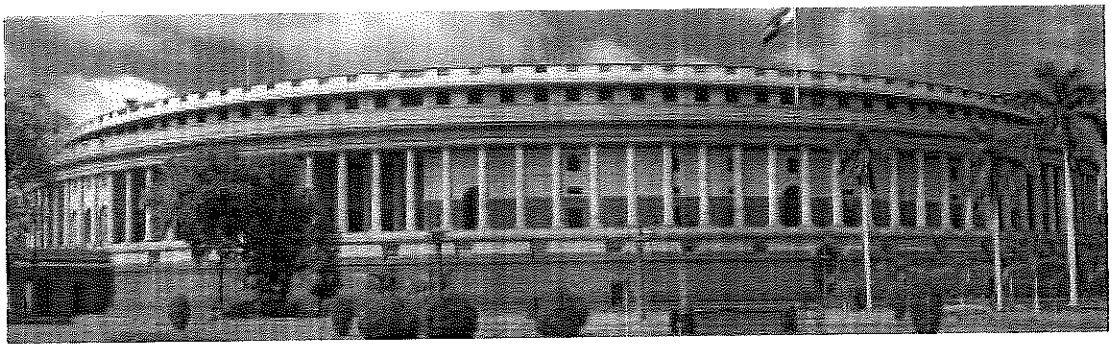

22-12-2022

कोयला मंत्रालय के "कोयले का आयात – प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता का मुद्दा" विषय से संबंधित कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के सभापति तथा संसद सदस्य, श्री राकेश सिंह ने 22 दिसंबर, 2022 को कोयला मंत्रालय के "कोयले का आयात – प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता का मुद्दा" विषय से संबंधित समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट कुछेक महत्वपूर्ण टिप्पणियां / सिफारिशें निम्नवत हैं:-

<u>कोयले के आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की गई।</u>	**समिति ने नोट किया है कि घरेलू मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए कोयले का आयात किया जाता है। कोयला आयात नीति के अनुसार, कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत रखा गया है और उपभोक्ता लागू शुल्क के भुगतान पर अपनी संविदात्मक कीमतों के अनुसार अपनी पसंद के स्रोत से कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। समिति यह भी नोट किया है कि कोयले का आयात, जो**

	2014-15 में 212.11 मिलियन टन (एमटी) के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया था, अगले दो वर्षों में घटकर 2015-16 में 203.95 एमटी और 2016-17 में 191.01 एमटी रह गया। कोयले के आयात में 2017-18 के बाद से फिर से वृद्धि का रुझान देखा गया है जब यह 208.25 एमटी तक पहुंच गया था। 2018-19 और 2019-20 में यह क्रमशः 235.35 एमटी और 248.54 एमटी हो गया। हालांकि, सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प की पृष्ठभूमि में, कोयला मंत्रालय/सीआईएल ने देश में घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ाकर कोयले के आयात को कम करने के लिए कई कदम उठाए। इन कदमों के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2020-21 में 215.25 एमटी और 2021-22 में 2.9% की नकारात्मक वृद्धि के साथ 208.93 एमटी कोयले के आयात को कम करने में मदद मिली है। मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े 2021-22 के लिए कोयले के आयात में नकारात्मक वृद्धि का संकेत देते हैं, जो आयातित कोयले पर देश की निर्भरता को कम करने और घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुरूप हैं। कोयले के आयात को कम करने के लिए कोयला मंत्रालय/सीआईएल द्वारा किए गए इन प्रयासों की सराहना करते हुए समिति इस बात पर जोर देती है कि कोयला मंत्रालय/सीआईएल को कम आयात सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। (सिफ़ारिश क्र.सं.1)
<u>समिति चाहती थी कि सरकार स्थानापन्न योग्य कोयले के</u>	समिति ने नोट किया है कि कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया

आयात को कम करे।	है। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम्एसएम्ई), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधि (सीईए), कोयला कंपनियों और बंदरगाहों के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं आईएमसी के दिशानिर्देश पर कोयले के आयात को ट्रैक करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डेटा प्रणाली विकसित की गई है। समिति कोयले के आयात को कम करने हेतु घरेलू कोयले की बढ़ी हुई आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे गंभीर प्रयासों की सराहना की है। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय द्वारा समिति को बताया गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड वर्ष 2023-24 तक प्रतिस्थापन योग्य कोयले के शून्य कोयला आयात मिशन के लिए प्रयास कर रहा है। समिति आशा करती है कि 1 बिलियन टन के बढ़े हुए कोयला उत्पादन लक्ष्य के साथ, उस कोयले का आयात नहीं होना चाहिए जो घरेलू कोयले के उत्पादन से प्रतिस्थापन योग्य है और आईएमसी के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को कोयले का आयात न करने और घरेलू स्तर पर उत्पादित कोयले का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। समिति चाहती है कि उसे कोयले के आयात को कम करने तथा घरेलू स्तर पर उत्पादित कोयले की खपत को बढ़ावा देने में आईएमसी द्वारा प्राप्त उपलब्धियों से अवगत कराया जाए। (सिफ़ारिश क्र.सं.3)

<u>कोयले की स्पेशल स्पॉट ई-ऑक्शन स्कीम की सराहना की गई।</u>	समिति ने पाया है कि सीआईएल द्वारा 2020 में आयातकों के लिए शुरू की गई स्पेशल स्पॉट ई-ऑक्शन स्कीम समेत कोयला कंपनियों की विभिन्न ई-नीलामी विंडो को अब क्लब कर दिया गया है और इसके बाद कोयला कंपनियों द्वारा ई-नीलामी सिंगल यूनिफाइड विन्डो के तहत आयोजित की जाएगी। अब सभी कोयला उपभोक्ता अर्थात बिजली क्षेत्र, गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस), व्यापारी आदि कोयले की खरीद के लिए ई-नीलामी के सिंगल विन्डो के तहत भाग लेंगे। कोयला मंत्रालय के अनुसार, इस योजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं, भागीदारी के लिए पात्रता - व्यापारियों सहित कोई भी भारतीय खरीदार जिसने चालू वर्ष या/और पिछले दो वित्तीय वर्षों में किसी भी समय कोयले का आयात किया हो; आरक्षित मूल्य गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए कोयले के अतिरिक्त अधिसूचित मूल्य के साथ या उसके बिना; और लॉन्गर लिफ्टिंग पीरियड यानी 3/6/12 महीने के लिए तय किया जाता है। समिति आशा करती है कि इस कदम से प्रयोक्ता उद्योगों को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और सभी उपभोक्ताओं को सही कीमत पर कोयला खरीदने का मौका मिलेगा। समिति को पिछले 2 वर्षों के दौरान देश में आयात आधारित उद्योगों की बढ़ी भागीदारी के कारण विदेशी मुद्रा में हुई बचत से अवगत कराया जाए। (सिफ़ारिश क्र.सं.5)
<u>सरकार ने राजस्व साझेदारी के आधार पर</u>	समिति ने नोट किया है कि कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला उत्पादन को

और अधिक खानों की नीलामी करने को कहा।	बढ़ावा देने के लिए, राजस्व साझाकरण तंत्र संबंधी वाणिज्यिक खनन की नीलामी 18.06.2020 को शुरू की गई थी। अब तक, 64 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इनमें से 45 ब्लॉकों के लिए निहित आदेश कार्यान्वित किया जा चुका है। कोयला मंत्रालय के अनुसार, वाणिज्यिक कोयला खनन के नियम और शर्तें बहुत उदार हैं जिसमें कोयले की उपयोगिता पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई है, अग्रिम राशि कम की गई है, मासिक भुगतान की तुलना में अग्रिम राशि के समायोजन, कोयला खानों के प्रचालन के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करने हेतु उदार दक्षता पैरामीटर अपनाने, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, आटोमेटिक रूट के माध्यम से 100% एफडीआई और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के आधार पर राजस्व साझाकरण मॉडल की बात की गई है। इस तथ्य की सराहना करते हुए कि वाणिज्यिक खनन योजना के तहत, उत्पादन की निर्धारित तिथि से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी जाएगी, समिति ने यह भी पाया है कि मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन की स्वीकृति दी है (अंतिम प्रस्ताव पर 50%)। समिति ने महसूस किया है कि ये प्रोत्साहन न केवल आवंटियों को कोयले का शीघ्र उत्पादन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि जब इन कदमों को गंभीरता से लागू किया जाएगा तो वे कोयले के घरेलू उत्पादन में भारी वृद्धि के कारण कोयले के आयात को भी कम कर देंगे। समिति आशा करती है कि मंत्रालय आने वाले वर्षों के दौरान राजस्व साझेदारी के आधार पर और अधिक खानों की

	नीलामी करेगा और इस क्षेत्र में सार्वजनिक / निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा। समिति इस संबंध में सरकार की कार्य योजना से अवगत होना चाहती है। (सिफ़ारिश क्र.सं.6)
<u>सभी कोयला खानों में नई खनन तकनीकें उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई।</u>	समिति ने पाया है कि कोयला कंपनियों को अपने कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर खनन की मैन्युअल विधि को खनन की अत्यधिक मशीनीकृत और अर्ध-मशीनीकृत प्रणाली में बदल दिया गया है, जो वर्ष 1975 में लगभग 100 एमटी था, वह वर्ष 2021-22 में बढ़कर 778 एमटी हो गया। कोयला कंपनियां उत्पादकता बढ़ाने और खनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर भूमिगत (यूजी) और खुले मुहाने वाली (ओसी) खान, दोनों का मशीनीकरण कर रही हैं। समिति समझती है कि खनन प्रक्रिया का मशीनीकरण इसे और अधिक लागत प्रभावी बना देगा और उत्पादकता में भी बहुत वृद्धि करेगा। इसलिए, समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी खानों में नई खनन तकनीक उपलब्ध हों और जहां कहीं भी निजी कंपनियां नई तकनीक शुरू करने में अनिच्छुक हों, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कंपनियां न केवल श्रमिकों की सुरक्षा के लिए, बल्कि उत्पादन बढ़ाने के लिए भी नई तकनीकें अपनाए। (सिफ़ारिश क्र.सं.7)
<u>कोयले की कीमतों को उचित सीमा के भीतर रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों</u>	समिति ने पाया है कि कोयला कंपनियां अर्थव्यवस्था पर, मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र में मुद्रास्फीति पर इसके प्रभाव को देखते हुए कोयले की कीमतों को उचित सीमा के भीतर रखने के लिए विभिन्न उपाय करती रही हैं।

<u>की सराहना की गई।</u>	इन उपायों में बेहतर मानव और मशीन उपयोगिता, गुणवत्ता, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, प्रौद्योगिकीय विकास के साथ-साथ गैर-आवश्यक वस्तुओं पर व्यय को कम करना शामिल है। मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति, मंत्रालय से इस संबंध में विशेष प्रयास करने की सिफारिश की है। समिति यह भी चाहती है कि सरकार को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ रेल मालभाड़ा प्रभारों और पोर्ट हैंडलिंग प्रभारों के युक्तिकरण का प्रयास करना चाहिए। समिति देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में विद्युत संयंत्रों/अन्य उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले कोयले की कम कीमत सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय/कोयला कंपनियों द्वारा उठाए गए इन कदमों से भी अवगत होना चाहती है। (सिफ़ारिश क्र.सं.10)